न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 08/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. बींजाराम पुत्र श्री राजूराम जाति–बावरी निवासी–ग्राम नाड़सर तहसील–भोपालगढ जिला जोधपुर		1. नरिंगाराम पुत्र श्री शिम्भुराम जाति–बावरी निवासी–ग्राम नाड़सर तहसील–भोपालगढ जिला जोधपुर 2. तहसीलदार भोपालगढ जिला–जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 05.06.2015 जो तहसीलदार भोपालगढ द्वारा केम्प कोर्ट नाड़सर में पारित किया गया।

उपस्थिति:– 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतराम चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 11.01.2018

अपीलान्ट बींजाराम पुत्र श्री राजूराम जाति बावरी निवासी ग्राम नाड़सर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टस नरिंगाराम पुत्र श्री शिम्भुराम जाति बावरी निवासी ग्राम नाडसर तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा दिनांक 05.06.2015 को केम्प कोर्ट नाड़सर में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी व प्रत्यार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 756 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा ग्राम नाड़सर की सरहद में आई हुई है, जिसमें दोनों ही पक्षों का हिस्सा ½ - ½ है। उक्त भूमि का मौके पर पक्षकारान के बीच में बंटवाड़ा किया हुआ है जिसके अनुसार पूर्वी आधा हिस्सा अपीलार्थी के बंट व हिस्से का है तथा पश्चिमी आधा हिस्सा प्रत्यार्थी के बंट व हिस्से में है अर्थात दोनो ही पक्षों के पड़ौस में उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 755 व दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 759 लगता है। जिसके

विभाजन के लिए दोनो ही पक्ष आपसी सहमति से तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष कोर्ट कैम्प नाड़सर में दिनांक 05.06.2015 को उपस्थिति हुए एवं हल्का पटवारी को बताया कि खेत का पूर्वी आधा हिस्सा अपीलार्थी के कब्जे व काश्त में है एवं पश्चिमी आधा हिस्सा प्रत्यार्थी के बंट व हिस्से में है। उसी अनुसार उत्तर-दक्षिण दिशाओं के अनुसार बीच में माठ कायम है परन्तु खेत चूंकि दिशाओं के अनुसार हल्का पटवारी ने नहीं समझा व खसरा नम्बर 755 के चिपते हुए अपीलार्थी का हिस्सा बता दिया व खसरा नम्बर 759 प्रत्यार्थी का हिस्सा दर्शा दिया। पक्षकार चूंकि अनपढ़ अनुसूचित जाति के कृषक है उन्होने बिना स्थिति व नक्शे को समझे उस पर अपने अंगुष्ठ निशान कर दिये जबकि मौके पर स्थिति भिन्न है उसी अनुसार बंटवाड़ा किया जाना था। अपीलार्थी के हिस्से कब्जे व काश्त वाली भूमि में अपीलार्थी का मकान बना हुआ है जहां वह निवास कर रहा है। उक्त बंटवाड़े आदेश में तहसीलदार भोपालगढ ने हल्का पटवारी को नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व पुन: मौके व रेकर्ड की विस्तृत जांच कर नामांतरकरण खोल कर रेकर्ड में अमल दरामद करने के निर्देश दिये किन्तु हल्का पटवारी ने उक्त आदेश की पालना किये बगैर कैम्पकोर्ट में उसी दिन नामांतरकरण संख्या 3206 भरकर उसको वहीं पर तस्दीक भी करवा लिया, जिसकी वजह से पक्षकार जो अनुसूचित जाति के अशिक्षित कृषक है, को अपनी त्रुटि का ज्ञान नहीं हुआ एवं राजस्व रेकर्ड के अन्दर गलत इन्द्राज हो गया जिसकी वजह से अपीलार्थी की आधी भूमि की तरमीम प्रत्यार्थी संख्या 1 के हक में एवं प्रत्यार्थी संख्या 1 की आधी भूमि अपीलार्थी के हक में हो गई जो कि मौके से भिन्न है। अगर तहसीलदार भोपालगढ के निर्देशानुसार हल्का पटवारी जांच करते तो ऐसी त्रुटि नहीं होती एवं सही बंटवाडा हो जाता। उक्त बंटवाड़े पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर धोखे से हुए है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.05.2017 को मौके पर आकर नापजोख कर नक्शे में तरमीम करने पर अपीलार्थी द्वारा पूछने पर कि यह पूर्व पश्चिम की ओर लाईन क्यों खींच रहे हो, लाईन तो उत्तर दक्षिण की ओर होनी चाहिए, तब हल्का पटवारी ने बताया कि नामांतरकरण की पुष्ट पर ऐसी लाईन खींची हुई है इसलिए मुझे उसी अनुसार लाईन खींचनी पड़ेगी तब उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा नकल हेतु आवेदन करने पर हल्का पटवारी से नकल प्राप्त होने पर सम्यक रूप से जानकारी हुई जिससे क्षुब्ध होकर आलौच्य आदेश दिनांक 05.06.2015 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित होने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट नाड़सर में दोनों पक्षों के अशिक्षित होने पर उक्त बंटवाड़े की वास्तविक स्थिति बताये बगैर दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर करवाने, तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की जांच हेतु दिये आदेश की पालना नहीं

कर हल्का पटवारी द्वारा वहीं पर नामान्तरकरण भरकर तस्दीक करवाने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2015 जो खसरा नम्बर 756 मौजा नाड़सर के विभाजन के बाबत पारित किया गया है को खारिज कर उक्त विभाजन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3206 ग्राम नाड़सर को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार भोपालगढ के आदेश दिनांक 05.06.2015 को निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतराम चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार भोपालगढ द्वारा केम्प कोर्ट नाड़सर में दिनांक 05.06.2015 को किया गया बंटवाड़ा आदेश पक्षकारों की आपसी सहमति से सही भरा गया है जो कि पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तहसीलदार भोपालगढ द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट नाड़सर में पक्षकारों की आपसी सहमति से सही बंटवाड़ा किया गया है। पक्षकारों ने आपसी सहमति से उस पर अंगूष्ठ व हस्ताक्षर किये है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भोपालगढ द्वारा राजस्व लोक अदालत में आपसी सहमति से जो बंटवाड़ा आदेश दिनांक 05.06.2015 पारित किया गया है उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अत: अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भोपालगढ को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर